



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243664
CG-DL-E-16022023-243664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701]
No. 701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

का.आ. 731(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग), ई-गवर्नेंस निदेशालय, तमिलनाडु सरकार' को वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और तमिलनाडु राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए आयकर निर्धारितियों के बारे में सूचना साझा करने के संबंध में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 06/ 2023/फा. सं. 225/169/2022-आईटीए.II]

रवीन्द्र मैनी, निदेशक